



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education विद्यालय शिक्षा निदेशालय

विद्या, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
सत्यमेव जयते
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

आदेश क्रमांक: 23/437-2003 PS(3)

दिनांक, पंचकूला 13.12.2019

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली-2003 के नियम 42(2)III में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबन्धक Saraswati Shiksha Sabha, Mandi Lukhi, Thanesar, Kurukshetra को उनके द्वारा संचालित Saraswati Vidya Mandir, Mandi (Kurukshetra) का नाम Bright Future International Akal Academy, Mandi (Kurukshetra) करने की अनुमति संस्था को इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वह विभाग के आदेश क्रमांक 23/437-2003 PS(3) दिनांक 10.01.2019 के तहत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से कक्षा 12वीं स्तर तक की सम्बन्धता लेने बारे जारी अनापत्ति प्रमाण में निहित शर्तें एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली-2003, 2007 व 2009 तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करती रहेगी।

डा० राकेश गुप्ता
महानिदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकण क्रमांक सम-

दिनांक, पंचकूला : 16/12/19

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक Saraswati Shiksha Sabha, Mandi Lukhi, Thanesar, Kurukshetra
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र-2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र।
5. प्राधानाचार्य, Saraswati Vidya Mandir, Mandi (Kurukshetra) (विद्यालय का नया पुराना)
6. प्राधानाचार्य, Bright Future International Akal Academy, Mandi (Kurukshetra) (विद्यालय का नया नाम)
7. आई0टी0 सैल।
8. ऑफिस रिकार्ड।

उप अधीक्षक पी0एस0
कृते: महानिदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।